"विविधा फीचर्स"

द्वारा – विविधा : महिला आलेखन एवं संदर्भ केन्द्र,
24/121, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर–302020 फोन : 0141–2392148 फैक्स नं. 0141–2392148
ई–मेल : vividha_2001@yahoo.com सम्पादक – ममता जैतली

अंक – 34 वर्ष – 2 प्रकाशन सामग्री 28 फरवरी से 12 मार्च 2003

सूखे के संकट से जूझता बाड़मेर

• भारत डोगरा •

सूखे के संकट और दुख–दर्द के सन्दर्भ में राजस्थान के बाड़मेर जिले का नाम प्रायः उभरता रहा है। थार रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कुछ पानी पहुंच गया है और कुछ क्षेत्रों में पर्यटन ने जोर पकड़ा है, पर बाड़मेर जिला इन संभावनाओं के बावजूद अभी तक इन दोनों लाभों से वंचित रहा है। दूर–दूर तक फैले इस रेगिस्तानी जिले में कृषि और पशुपालन पर बहुत निर्भरता है और यह दोनों ही वर्षा पर आधारित हैं।

वैसे तो वर्ष 1999 और 2000 को भी कम वर्षा का समय माना गया। उस समय क्रमशः 226 और 274 मिमी. वर्षा दर्ज की गई, पर वर्ष 2002 में तो मात्र 52 मिमी. वर्षा ही दर्ज हुई।यहां के सभी 1975 गांव सूखा–प्रभावित घोषित किए गए हैं। आरंभ में वर्षा की उम्मीद जगने से बहुत सी कृषि भूमि पर बुवाई हो गई थी, पर आगे वर्षा न होने के कारण यह फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। सरकारी आंकड़ों में 1975 में से केवल एक गांव को छोड़कर शेष 1974 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत की फसली क्षति बताई गई है। इस तरह पहले से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनके कर्ज और बढ़ गए और अगली फसल के लिए बीज भी नहीं बचे। इसके अतिरिक्त भारत–पाकिस्तान सीमा से सटे अनेक गांवों को सेना के जबरदस्त जमाव का असर भी सहना पड़ा। इस कारण बहुत सीमित जल संसाधनों पर अधिक बोझ पड़ा। युद्ध की संभावना बहुत नजदीक आने के कारण जब गांव छोड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी तो कई गांववासियों ने अपने चारे व अनाज के थोड़े बहुत भंडार भी बेच दिए जिससे इन दिनों अधिक कठिनाई आ रही है।

इन प्रतिकूल परिस्थितियों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार के अकाल राहत कार्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फरवरी में लगभग तीन लाख ग्रामीण परिवारों के इस जिले में लगभग एक लाख व्यक्तियों को नौ दिन का राहत कार्य देने की तैयारी रही है जिससे औसतन लगभग सभी परिवारों में एक व्यक्ति को एक महीने में नौ दिन का कार्य प्राप्त होने की संभावना बनती है। किन्तु इसके बावजूद यह संभावना बनी रहती है कि कुछ उपेक्षित और गरीब परिवार राहत कार्य से वंचित रह जाएं। इसी तरह जहां असहाय–असमर्थ परिवारों के लिए 50 किग्रा गेहूं की व्यवस्था हुई है, पर यह लाभ सब जरूरतमंदों तक पहुंचे इसके लिए और प्रयास की आवश्यकता है।

राहत कार्य में दस किग्रा. गेहूं और 14 रुपए नकद प्रतिदिन की मजदूरी की व्यवस्था है, पर यह मजदूरी कार्य के नाप के आधार पर ही दी जाती है। चूंकि चार–पांच वर्ष के अकाल की मार सहते हुए यहां के लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं, अतः उनके लिए इस पूरी मजदूरी को प्राप्त करने लायक मेहनत प्रायः संभव नहीं है। यहां के गांवों में हमने प्रायः यह देखा कि नौ दिन के कार्य के लिए जितना गेहूं व नकद मिलना चाहिए, प्रायः लोग उसका 50 से 60 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त करते हैं। इस अनाज से भूख तो कुछ हद तक मिटती है पर कुपोषण दूर नहीं होता है। अधिकांश गांववासियों ने बताया कि वे एक समय मिर्च के साथ रोटी खाते हैं, थोड़ी सी चाय लेते हैं व शाम को आटे की राबड़ी बनाकर किसी तरह पेट में डाल लेते हैं। प्याज कभी–कभी ही मिलता है।

यदि केन्द्रीय सरकार ने राहत कार्य की मजदूरी के खाद्यान्न हिस्से को दस से पांच किग्रा करने के प्रस्तावित निर्णय को आगे बढ़ाया तो इससे रोजगार में कमी आएगी और सबसे जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा बिगड़ जाएगी। यह समय तो अकालग्रस्त परिवारों की स्थिति सुधारने का है। इस समय न जाने क्यों स्थिति को बिगाड़ने के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारे की स्थिति और भी विकट है। सरकारी नीति में केवल गोवंश के पशुओं के लिए शिविरों की व्यवस्था है। लगभग एक लाख ऐसे पशुओं को लगभग 260 शिविरों में निशुल्क चारा–पानी मिल रहा है। यहां चारे की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं कि मिट्टी–रेत भरा चारा भेजा जा रहा है। चारे की गुणवत्ता सुधारने के साथ इसकी उपलब्धि बढ़ाते हुए भेड़, बकरी, ऊंट, गधे आदि अन्य पशुओं की जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इन सभी पशुओं का यहां के जीवन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और वे अकाल के कारण संकटग्रस्त हो चुके हैं। पशु शिविरों में गरीब लोगों के पशुओं की उपेक्षा न हो इस पर विशेष ध्यान देना होगा। बाड़मेर जिले में बड़ी संख्या में पशु मर चुके हैं और गर्मी आने से पहले पशु बचाने की बहुत तैयारी करनी शेष है।

मनुष्य और पशु दोनों के पेयजल की आवश्यकता को उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फरवरी के महीने में ही कुछ स्थानों पर जल का संकट देखा जा रहा है व मई तक पहुंचते–पहुंचते तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट उपस्थित होगा। पिछले अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि सरकारी टैंकर अभावग्रस्त गांवों की जल संबंधी आवश्यकता का बहुत थोड़ा हिस्सा ही पूरा कर पाते हैं। सीमा के पास स्थित कुम्हारों के टिब्बा के एक बारे में लगाए गए एक अनुमान से पता चला कि जरूरत के दिनों में सरकारी टैंकर से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक गिलास पानी ही उपलब्ध हो सका है। वैसे पांच लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो लक्ष्य स्वीकार हो रहा है, वह भी बहुत कम है।

(जारी)

पानी के किसी भी गैर जरूरी उपयोग पर रोक लगनी चाहिए व उपलब्ध जल को जरूरतमंद स्थानों तक पहुंचाने का नियोजन अच्छी तरह होना चाहिए। प्रायः कुछ पानी मुख्य गांव तक टैंकर पहुंचा देते हैं। पर आगे ढाणियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूर–दूर फैली ढाणियों के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए ऊंट बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विभागों या अधिकारियों में तालमेल के अभाव से या बिजली उपलब्ध न होने से जो कठिनाइयां पहले आती रही हैं, उनका इंतजाम पहले से करना चाहिए। जिन गांवों की हौदियां दूर की पाइप लाइनों के वर्षों से जुड़े होने के बावजूद सूखी पड़ी हुई है। उन्हें पास के स्रोत से पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास करने चाहिए।

यह दुख की बात है कि अकाल के दिनों में भी शराब की बिक्री होती है और इस तरह कुछ गांवों के असरदार लोग गरीब लोगों को और कर्जग्रस्त बनाते हैं। वैसे तो शराब सदा ही बुरी है पर अकाल के इतने भयंकर दौर में शराब बेचना तो सीधे–सीधे गरीब बच्चों के मुंह से रोटी छीनने जैसा है। विशेषकर जिन गांवों में शराब एक गंभीर समस्या बन रही है, वहां के लिए यह एक उपयुक्त समय है कि शराब से होने वाली तबाही के विरुद्ध असरदार तरीके से प्रचार किया जाए। एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें अधिक से अधिक लोग शराब छोड़ने के लिए प्रेरित हों और शराब बनाने वालों पर जबरदस्त सामाजिक दबाव पड़े जिससे उनके लिए शराब बेचना कठिन हो जाए। इस शराब विरोधी आंदोलन में बहुत सी महिलाओं की उत्साहवर्धक भागीदारी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इस तरह बेहतर राहत प्रयासों के साथ समाज–सुधार के कार्यों को जोड़ा जाना चाहिए। नोट– यह लेख सी.एस.ई. दिल्ली की एक फैलोशिप की सहायता से लिखा गया। (विविधा फीचर्स)